

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	कार्य अहकाम
27-06-15	<p>प्रवाली-कान लोक कदमत कोर्ट-कम्प- गदमोरा में पेशा हुई। जिसमें उमम- पञ्जाकारान को सुना गया। प्रार्थोगण ने अपने पक्ष में प्रां पक्ष में इंगित बिन्दुओं को देहरामा व प्रां पक्ष एकपक्षीय दिष्टी एवं निवेदन दिनांक 03-02-11 सु. नं. 225/10</p>
27-06-15	<p>उनवानी नुबेदादेवी व अन्य बनाम खवेरखोड़ वगैरे। निवेदन हेतु कोर्ट द्वारा उममगत 09 R 13 स्वीकार क्रिये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थोगण ने जी अपने पक्ष में प्रस्तुत जवाब में इंगित बिन्दुओं को देहरामा एवं निवेदन किया कि प्रार्थोगण द्वारा प्रस्तुत प्रां पक्ष उममगत को उममगत करने व सुनिश्चित को परेशान करने हेतु विवेक जोकि कायम है किमडु एवं मिथार बाहर है। यह प्रां पक्ष गलत तरीके से करवा पेश किया गया है। जोकि मध्य सूची खारिज क्रिये जाने योग्य है। किता उममपक्षकारान को सुना जाकर एवं प्रवाली-में उपलब्ध दस्तावेजों का जांचोना करने व सुसंगत विधि को देखा जाकर उममगत इस निवेदन पर पहिचता है कि प्रां पक्ष 09 R 13 प्रार्थोगण किमडु-उपप्रार्थोगण खारिज क्रिये जाने योग्य है। किता प्रस्तुत प्रां पक्ष 09 R 13 प्रार्थोगण किमडु उपप्रार्थोगण खारिज क्रिया जाता है।</p>